इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 9107-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 30 मार्च, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ और मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

भाग—एक

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) का संशोधन.

धारा ३ का प्रतिस्थापन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता और दैनिक भत्ता.

"३ (१) अध्यक्ष को तीस हजार रुपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) अध्यक्ष को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता और उपाध्यक्ष को तेईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एक हजार दो सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाएगा."

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) का संशोधन.

धारा ४ का प्रतिस्थापन.

३. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०), की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

नेता प्रतिपक्ष को सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता और दैनिक भत्ता.

"४ (१) नेता प्रतिपक्ष को तीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) नेता प्रतिपक्ष को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) नेता प्रतिपक्ष को एक हजार दो सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाएगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रा-स्फीति के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिये जाने वाले भत्तों में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है. अतएव मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) और मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २९ मार्च, २०१२.

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड २ तथा ३ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये ११,००,०००/- (रुपये ग्यारह लाख) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 1986-130-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 17 OF 2012

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA EVAM NETA PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A bill further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 and the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha Evam Neta Pratipaksha Vetan Tatha Bhatta Vidhi (Shanshodhan) Adhiniyam, 2012.

PART—I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972 (No. 27 OF 1972)

Substitution of Section 3. 2. For Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972), the following Section shall be substituted, namely:—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance to Speaker and Deputy Speaker.

"3. (1) There shall be paid to the Speaker a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem and to the Deputy Speaker a sumptuary allowance of twenty five thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Speaker a constituency allowance of twenty seven thousand rupees per mensem and to the Deputy Speaker a consituency allowance of twenty three thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a daily allowance of one thousand two hundred rupees per day.".

PART—II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1980 (No. 8 OF 1980)

Substitution of Section 4. 3. For Section 4 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980), the following Section shall be substituted, namely:—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance to the Neta Pratipaksha.

"4. (1) There shall be paid to the Neta Pratipaksha a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Neta Pratipaksha a constituency allowance of twenty seven thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Neta Pratipaksha a daily allowance of one thousand two hundred rupees per day.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to inflation in recent years, it has become necessary to enhance the allowances given to Speaker, Deputy Speaker and Leader of Opposition of the Madhya Pradesh Legislative Assembly. Therefore, suitable amendments are proposed in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tath Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972) and the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 29th March 2012.

GOPAL BHARGAV
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.